

भाग-3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14	स्थल जगहों की वन भूमि शामिल की गई, क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं
15	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-2 में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है?	उत्तर प्रदेस। हाँ
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारण के साथ विशेष सिफारिशें।	सम्मम। संस्तुति की जाती है

तिथि

स्थान - टाखनऊ

हस्ताक्षर:

नाम:

पदनाम:

हस्ताक्षर: 
नाम: इवा शर्मा
पदनाम: मुख्य वन संरक्षक
लखनऊ मण्डल, उ०प्र० लखनऊ

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रमुख वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्य के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारशें। (राय देते समय सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुरपष्ट समीक्षा की जाये और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये)	
----	---	--

तिथि

स्थान

हस्ताक्षर:

नाम:

पदनाम:

भाग-5

(इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव पद के नीचे का अधिकारी न हों भरा जाना है)

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग-2, भाग-3 या भाग-4 में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट की जाये)	
----	---	--

तिथि

स्थान

हस्ताक्षर:

नाम:

पदनाम:

profarma